

**कार्यालय, प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आत्मा) एवं उप संचालक कृषि,  
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ०ग०)**

फोन नं. / फ़ैक्स नं. : 07727-223543 e-mail : dda.balodabazar@gmail.com

क्र./टी-9/आत्मा/स्था./सं.नि./2015-16/ 1889

बलौदाबाजार, दिनांक 10.08.2015

**// आदेश //**

सर्पोट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राफ फॉर एक्सटेंशन रिफार्मर्स (आत्मा) योजनांतर्गत modified guideline - 2014 के पृष्ठ क्र. - 78, 79 एवं 80 या Annxure II (c) एवं केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृति वर्ष 2014-15 के अनुसार छ.ग. शासन, कृषि विभाग, रायपुर का आदेश पत्र क्र./एक्स.रि./प्रशा./21/2014-15 /211. रायपुर, दिनांक 19.08.2014 एवं कलेक्टर एवं अध्यक्ष, गवर्निंग बोर्ड (आत्मा) द्वारा प्राप्त अनुमोदन दिनांक 05.09.2014 के निर्देशानुसार Sub-Mission on Agricultural Extension (Sub-Head) Agricultural Technology Management Agency (ATMA) योजनांतर्गत प्रतिका सूची से Assistant Technology Manager (ATM) पद पर संविदा नियुक्ति निम्नानुसार दर्शित अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पदस्थापना स्थल पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है।

क्र.	आवेदक का नाम	पिता का नाम	वर्ग	पूर्ण पता	जिला	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री रामचंद्र	श्री छेदीलाल	अपिव	ग्राम-पोस्ट-रंजमा, तह. -कटघोरा, थाना-दीपका, जिला-कोरबा	कोरबा	कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड-पलारी
2	श्री रोहित कुमार	श्री समारू राम	अजा	ग्राम-मुछेला, पोस्ट-बरमपुर, तह. -लोरमी, जिला-बालोद	बालोद	कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड-बिलाईगढ़
3	श्री. योगेश्वर कुमार खुटे	श्री गञ्जिन राम खुटे	अजा	ग्राम-पचरी, पोस्ट-मिसदा, तह. -नवागढ़, जिला-जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड-बलौदाबाजार
4	कृ. चैनबाई	नारायण सिंह	अजजा	वार्ड नं. 14, रावाडीह, पोस्ट-बकसाही, तह. -पाली, जिला-कोरबा	कोरबा	कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड-कसडोल
5	श्री चंद्रपाल जोगी	श्री कृष्णपाल जोगी	सामान्य	ग्राम-लोहारी, पोस्ट-मरवाही, जिला-बिलासपुर 495118	बिलासपुर	कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड-सिमगा
6	कृ. चुम्न	श्री गैदलाल	सामान्य	ग्राम-दरौटोला, पोस्ट-बरही, तह. -जिला-बालोद	बालोद	कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड-बलौदाबाजार
7	विजेता पाण्डे	श्री रमेश पाण्डे	सामान्य	गौरी नगर, गली नं. 02 वार्ड नं. 12 जिला-राजनांदगांव	राजनांदगांव	कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड-सिमगा
8	श्रीमति अंकिता अग्रवाल	श्री आशिष अग्रवाल	सामान्य	हनुमान मंदिर के पास, बाजार वार्ड, माना बस्ती, जिला-रायपुर	रायपुर	कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड-भाटापारा
9	श्री विजयेन्द्र दीक्षित	श्री विरेंद्र दीक्षित	सामान्य	ग्राम-बनगबौद, पोस्ट-बाजार कुरीडीह, तह.-नगरी, जिला-धमतरी	धमतरी	कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड-कसडोल

कलेक्टर एवं अध्यक्ष, गवर्निंग बोर्ड (आत्मा), द्वारा अनुमोदित।

/s/

2

**नियुक्ति की शर्त :-**

1. मासिक संविदा वेतन राशि ₹ 15000/- (अक्षरी पन्द्रह हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह के दर से देय होंगे। उपरोक्त दर्शित मासिक संविदा वेतन के अलावा किसी भी प्रकार के भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
2. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जिसे बिना पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त किया जा सकेगा। योजना अवधी पूर्ण होने अथवा भारत शासन द्वारा राशि उपलब्ध कराये जाने तक ही जो भी पहले हो तक ही अस्तित्व में रहेगे। उसके पश्चात यह पद स्वयंमेव समाप्त हो जायेगे।
3. संविदा नियुक्ति के अधीन वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
4. संविदा नियुक्ति अवधी के दौरान दोनों पक्षों में से कोई भी एक, 01 माह का अग्रिम वेतन या 01 माह पूर्व सूचना देकर अपनी सेवा समाप्त कर सकेगा।
5. आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर कार्य पर उपस्थिति अनिवार्य होगी, अन्यथा आदेश स्वयंमेव निरस्त मानकर प्रतिक्षा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को आदेश किया जावेगा।
6. संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिए की जा रही है, कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर सेवा अवधी बढ़ायी जा सकेगी। संविदा नियुक्ति की अवधी समाप्त होने पर सेवा अवधी बढ़ाये जाने हेतु सक्षम अधिकारी के अभिमत के साथ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उपस्थिति के समय संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र तथा समस्त मूल दस्तावेज एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को जाति सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। संबंधित के कार्य पर उपस्थित होने के समय समस्त अभिलेखों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संबंधित कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर चयन हो गया हो तो ज्ञात होने पर नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
9. अन्य शर्तें छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर का पत्र क्र./एफ-9-1/2012/1-3 रायपुर, दिनांक 17 जनवरी, 2013 के अनुसार लागू होगी।
10. किसी भी प्रकार के अपराधिक कृत्य या शिकायत पाये जाने पर संबंधित की सेवाएं तत्काल समाप्त की जावेगी।

परियोजना निदेशक (आत्मा)  
एवं उप संचालक कृषि

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

बलौदाबाजार, दिनांक 10.08.2015

पृ. क्र./टी-9/आत्मा/स्था./सं.नि./2015-16/ 1890

**प्रतिलिपि :-**

1. संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक कृषि, रायपुर, संभाग-रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. उप संचालक पशुधन विकास विभाग/सहायक संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी/सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा की ओर सादर सूचनार्थ।
4. परियोजना निदेशक (आत्मा) एवं उप संचालक कृषि, जिला- .....(सर्व) की ओर सूचनार्थ।
5. संबंधित श्री/श्रीमति/कु. .... पता ..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. कार्यालय स्थापना कक्ष/आदेश नस्ती।

परियोजना निदेशक (आत्मा)

एवं उप संचालक कृषि

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा